राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

क्रमांक : प.22(5)संसद/90पार्ट–1 जयपुर, दिनांक : 04.08.2026.

:: आदेश ::

सौलहवीं राजस्थान विधान सभा का षष्ठम् सत्र गुरूवार, दिनांक 20 अगस्त, 2026 को प्रातः 11.00 बजे पूर्वान्ह् राजस्थान विधान सभा भवन, ज्योतिनगर, जयपुर में प्रारम्भ होने जा रहा है। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव, नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्तावों के संबंध में विभागों द्वारा उत्तर विधान सभा सचिवालय को भिजवाये जाने की व्यवस्था को ओर भी प्रभावी करने हेतु संसदीय कार्य विभाग में कन्ट्रोल रूम (मुख्य भवन, कमरा न. 1002) स्थापित किया जाता है।

उक्त कन्ट्रोल रूम (कमरा न. 1002) के इंचार्ज सहायक शासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग एवं इनकी अनुपलब्धता में अनुभागाधिकारी, संसदीय कार्य विभाग होंगे जिनके निर्देशों के अनुसार समस्त कार्य सम्पादित किए जावेंगें। संसदीय कार्य विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को कन्ट्रोल रूम में नियुक्त किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम व पद	विभाग
1.	श्री बलवीर चावला, अनुभागाधिकारी	संसदीय कार्य विभाग
2.	श्री महेन्द्र सिंह राजावत, सहायक अनुभागाधिकारी	संसदीय कार्य विभाग
3.	श्री मनीष कुमार गांधी, सहायक अनुभागाधिकारी	संसदीय कार्य विभाग
4.	श्री रामप्रसाद शर्मा, लिपिक ग्रेड–द्वितीय	संसदीय कार्य विभाग
5.	श्री लक्ष्य श्रीधन सोनवाल, लिपिक ग्रेड–द्वितीय	संसदीय कार्य विभाग
6.	श्री विकास जाट, लिपिक ग्रेड–द्वितीय	संसदीय कार्य विभाग
7.	श्री विकास शर्मा, लिपिक ग्रेड–द्वितीय	संसदीय कार्य विभाग
8.	रीतु कुमारी, लिपिक ग्रेड–द्वितीय	संसदीय कार्य विभाग

श्री बलवीर चावला, अनुभागाधिकारी, संसदीय कार्य विभाग विधान सभा सचिवालय से प्राप्त प्रस्तावों को निर्धारित पंजिका में इन्द्राज करेगें तथा प्रस्ताव के विषय से संबंधित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव को प्रस्तावों के उत्तर सहित राजस्थान विधान सभा को भिजवाये जाने हेतु विभाग के स्तर से भी पत्र प्रेषित करेगें।

उक्त विशेष व्यवस्था हेतु संसदीय कार्य विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को विधान सभा में पूरे सत्र के दौरान उपस्थित रह कर वांछित कार्य सम्पादन करना होगा। इस प्रकार नियुक्त किए गए अधिकारी/कर्मचारी सत्र के दौरान प्रतिदिन सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से एक घंटा पूर्व एवं सदन की कार्यवाही समाप्त होने तक संसदीय कार्य विभाग में उपस्थित/मौजूद रहकर कार्य करेंगे। नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर निगरानी रखी जायेगी कि समस्त दैनिक कार्य समय पर पूरा कर लिया गया है।

04/08/2026

Scanned with OKEN Scanner

यह कन्ट्रोल रूम उपरोक्त कार्यवाहियों के अतिरिक्त राजस्थान विधान सभा संबंधी अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन करेगा, जो निम्न प्रकार है :–

1. स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा विशेष उल्लेख प्रस्ताव से संबंधित अतिरिक्त प्रतियां, यदि किसी विभाग द्वारा चाही जाती है, तो उसकी प्रतियां तुरन्त उपलब्ध करवायी जावेगी।
2. उक्त प्रस्तावों के प्राप्त उत्तरों के आधार पर बकाया सूचियां/विवरण तैयार करेंगें। इसके लिए विधान सभा सचिवालय की संबंधित शाखा से समन्वय भी रखेंगें।

राजस्थान विधान सभा के पीठासीन अधिकारियों एवं माननीय विधायकों के वेतन भत्तों तथा अन्य सुविधाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रकरण सदैव ही विधान सभा सत्र के दौरान उठाये जाते हैं तथा तत्संबंधी अधिनियम/नियमों में संशोधन की कार्यवाही तत्काल से किया जाना नितान्त आवश्यक होता है। अतः इस कार्य को त्वरित गति से सतर्कता पूर्वक सम्पन्न करने हेतु श्री महेन्द्र सिंह राजावत, सहायक अनुभागाधिकारी, संसदीय कार्य विभाग तथा इनकी अनुपस्थिति में श्री मनीष कुमार गाँधी, सहायक अनुभागाधिकारी, संसदीय कार्य विभाग सत्र के दौरान अपने दैनिक कार्यो के साथ यह भी कार्य सम्पादित करेगें। सत्र के दौरान कोई अधिकारी/कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के मुख्यालय नही छोडगे एवं अवकाश नहीं लेंगे।

04/08/2024

(राघवेन्द्र काछवाल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर।
4. शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4/2) विभाग।
6. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख–1) विभाग।
7. प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–2) विभाग।
8. कार्मिक (ख–2) विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

04/8/24

(प्रेम नारायण)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

Scanned with OKEN Scanner